



आयुष्मान् भारत "निरामयम्" मध्यप्रदेश

(दीन दयाल स्वास्थ्य सुरक्षा परिषद)

आई.ई.सी. ब्यूरो, प्रथम तल, जे.पी. अस्पताल परिसर, भोपाल



क्रमांक/ए.एस./ए.बी./2020/669

भोपाल, दिनांक 05/08/2020

❖ आदेश ❖

आयुष्मान् भारत "निरामयम्" योजनान्तर्गत सम्बद्ध समस्त निजी चिकित्सालयों को सूचित किया जाता है कि कोविड-19 की स्थिति को दृष्टिगत रखते हुये ऐसे निजी चिकित्सालय, जिनकी अनुबंध पत्र/एन.ए.बी.एच. प्रमाण पत्र की वैधता समाप्त चुकी है या 30 सितम्बर 2020 के पूर्व होने वाली है, उन निजी चिकित्सालयों को योजनान्तर्गत 30 सितम्बर 2020 तक इस शर्त पर निरंतर किया जा रहा है कि वह उक्त दिनांक तक अपने अनुबंध पत्र का नवीनीकरण करा लेंगे अथवा नवीनीकृत एन.ए.बी.एच. प्रमाण पत्र आयुष्मान् भारत "निरामयम्" कार्यालय में उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे।

(डॉ. जे. विजयकुमार)

मुख्य कार्यपालन अधिकारी
आयुष्मान् भारत "निरामयम्"
मध्यप्रदेश

पू.क्रमांक/सी.ई.ओ./ए.बी./2020/670

भोपाल, दिनांक 05/08/2020

प्रतिलिपि:-सूचनार्थ :-

1. प्रमुख सचिव, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, भोपाल म.प्र.
2. आयुक्त, संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें, सतपुड़ा भवन, भोपाल।
3. आयुक्त, चिकित्सा शिक्षा, सतपुड़ा भवन, भोपाल।
4. संचालक, चिकित्सा शिक्षा, सतपुड़ा भवन, भोपाल।
5. कार्यपालन अधिकारी, आयुष्मान् भारत "निरामयम्" म.प्र.।
6. महाप्रबंधक (ऑपरेशन) आयुष्मान् भारत "निरामयम्" म.प्र.।
7. वित्त अधिकारी, आयुष्मान् भारत "निरामयम्" म.प्र.।
8. संयुक्त संचालक, अस्पताल प्रशासन, संचालनालय स्वास्थ्य सेवाएं सतपुड़ा भवन, म.प्र.।
9. समस्त कलेक्टर, /अध्यक्ष जिला स्वास्थ्य समिति म.प्र.।
10. समस्त मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकार, म.प्र.।
11. समस्त संबंधित निजी चिकित्सालय।

मुख्य कार्यपालन अधिकारी
आयुष्मान् भारत "निरामयम्"
मध्यप्रदेश